सामयिक प्रपत्र–5

आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियां और समाधान

॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

India Policy Foundation
भारत नीति प्रतिष्ठान

आंतरिक सुरक्षा

चुनौतियां और समाधान

लेखक
आर. एन. पी. सिंह

अनुवादक
ममता त्रिपाठी

India Policy Foundation
भारत नीति प्रतिष्ठान

इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो–प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी और ढंग से, प्रकाशक की पूर्व अनुमति के द्वारा नहीं किया जा सकता।

प्रकाशक
भारत नीति प्रतिष्ठान
डी–51, हौजखास
नई दिल्ली 110016 (भारत)
दूरभाष : 011-26524018
फैक्स : 011-46089365
ई–मेल : indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.indiapolicyfoundation.org

संस्करण : प्रथम, अप्रैल, 2014
© भारत नीति प्रतिष्ठान

मूल्य : 50 रुपये मात्र
मुद्रक : प्रिन्ट कनेक्शन, ओखला

विषय सूची

परिचय	3
आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कारक	5
खुफिया सूचना प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता	10
वामपंथी आतंकवाद	15
पूर्वोत्तर एवं जनांककीय आक्रमण	19
आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिऐ उपाय	21

परिचय

भारत विकसित देशों की श्रेणी में अपने लिए स्थान बनाने एवं अपने भूतकालीन गौरव को पुनः प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। किन्तु उसकी शासन संचालन में विफलता इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गयी है, जो देश के विकास की गति को मंद कर सकती है।

अपनी जनता को सुरक्षा एवं निर्भयता सुनिश्चित करवाना, कानून को पुष्ट करना एवं जो लोग उसे संचालित कर रहे हैं उनसे शक्ति की वैधता सुनिश्चित करवाना, किसी भी सरकार का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। आज यदि देश इन आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के इस प्रयास में असफल होता है तो इतिहास हमारी भर्त्सना करेगा कि सभी उपयुक्त अवसरों के होते हुये भी भारत वह नहीं कर सका जो उसे करना चाहिये था।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आंतरिक सुरक्षा की विफलता किसी भी देश की अवनति एवं अस्थिरता का प्रमुख कारक है। यहां यह कहना पूर्णतः सही नहीं होगा कि केवल बाहरी तत्वों द्वारा किये गये आघात एवं आक्रमण ही किसी देश की प्रगति के मार्ग में बाधा बन कर उपस्थित होते हैं और उसकी गति को मंद करते हैं।

विश्वयुद्ध के बाद का समय असफलता, विघटन, आंतरिक कलह एवं हिंसा के कारण 80 प्रतिशत देशों के राजनैतिक एवं संवैधानिक प्रणाली के विध्वंस, विखंडन एवं विफलता का साक्षी रहा है। आंतरिक सुरक्षा में विफलता के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे राजनैतिक उथल–पुथल, साम्प्रदायिक हिंसा, आर्थिक तंगी अथवा सामाजिक ताने–बाने का टूटना।

आज बदले हुए परिदृश्य में जब कभी भी कोई देश आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के मोर्चे पर असफल होता है तब कोई न कोई बाहरी तत्व वहां प्रवेश करके इस प्रक्रिया को अनियंत्रित स्तर तक भड़काने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में आंतरिक कलह राज्य को अस्थिर करने के लिये प्रलोभन देती है और बाहरी तत्त्वों को आमंत्रित करती है। जब कोई राज्य बाह्य तत्वों से निबटने में असफल हो जाता है तब वह किसी भी आसन्न संकट को रोकने की अपनी क्षमता खो देता है। इसलिए आज के परिदृश्य में आंतरिक सुरक्षा के तार बाह्य सुरक्षा से इस प्रकार जुड़ गए हैं कि आंतरिक सुरक्षा को सामान्य कानून व्यवस्था की परिधि में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इस चुनौती का समाधान परंपरागत सूझ–बूझ से संभव नहीं है। भारत की भू–राजनैतिक स्थिति, इसके पड़ोसी कारक, विस्तृत एवं जोखिम भरी स्थलीय सीमाओं और लम्बी समुद्री सीमाओं के साथ इस देश के ऐतिहासिक अनुभव इसे सुरक्षा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील बनाते हैं। इसके साथ ही साम्प्रदायिक, जातीय, भाषायी एवं नस्ली बुराईयां, आर्थिक पिछड़ापन, राजनैतिक विरोध तथा उथल–पुथल आदि तत्त्व बाहरी शक्तियों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा को जोखिम में डालने हेतु अवसर प्रदान करते हैं।

पिछले दो दशकों में देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है और इसने गलत दिशा पकड़

ली है। आज आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पहले की तरह नहीं रह गई हैं। पहले ऐसी समस्याएं घर में ही पैदा होती थी आज ये बाहरी कुचक्र के कारण उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए आंतरिक सुरक्षा–समस्या का पहले का प्रारूप, जब ये समस्या केवल देश के अंदर से ही उत्पन्न होती थी, आज पूरी तरह बदल चुका है और इसने पूर्णतः नया रंग–ढंग अपना लिया है। अब देश की आंतरिक सुरक्षा के तार बाह्य षड़यंत्रों से जुड़ गए हैं। समाज को भड़काने वाले ऐसे विषैले तत्वों को राजनीतिक–कूटनीतिक उद्देश्य, योजना, अभिप्रेरणा, पूँजी तथा संसाधन आदि देश के बाहर से उपलब्ध करवाया जाता है। देश के अंदर केवल इनके द्वारा किए गए विध्वंस एवं विनाश तथा इनके द्वारा फैलाई गई अशांति का ही अनुभव किया जा सकता है। आतंक फैलाने के लिए आवश्यक संसाधन, पूंजी, हथियार और यहां तक कि योजना एवं उसके परिणाम आदि के विषय में सारी व्यवस्था देश के बाहर से होने के कारण ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को पकड़ पाना कठिन हो जाता है। योजना का प्रबंधन एवं संचालन बाहर से होने के कारण बाह्य शक्तियों को किसी साक्ष्य के अभाव में आसानी से मुकर जाने का अवसर मिलता है। इस तरह बाह्य शक्तियों द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरे को देश की अंदरूनी समस्या के रूप में प्रस्तुत करना सरल हो जाता है तथा इसमें उनके हस्तक्षेप की आसानी से अनदेखी हो जाती है। देश के अपरिहार्य सुरक्षा सरोकार को ध्यान में रखते हुए कानून–व्यवस्था के एक सशक्त ढांचे के बिना आंतरिक सुरक्षा की ऐसी समस्याओं से निपटना बहुत कठिन है। भारत लम्बे समय से अब तक बाहर से प्रायोजित आंतरिक सुरक्षा के चुनौतियों का सामना कर रहा है और धन, सम्पत्ति एवं जान–माल की क्षति के रूप में इसका भारी मूल्य भी चुका रहा है ।

I आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कारक

आंतरिक सुरक्षा के खतरों का बाहरी तत्वों से निकट संबंध को देखते हुए आज देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है तथा नीति–निर्माण के समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता हैः –

वर्तमान समय में नीतिगत एवं राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समरभूमि में आमने–सामने आकर युद्ध करना एक बेहद खर्चीला और प्रभावहीन साधन बन गया है। इसके अतिरिक्त आमने–सामने के युद्ध में किसी एक पक्ष की जीत पूर्णतः सुनिश्चित नहीं होती, यहां तक कि शक्तिशाली पक्ष की भी नहीं। इसलिए युद्ध की एक ऐसी रणनीति सामने लाई गई जिसमें नागरिक समाज के मध्य छुपकर वार करना श्रेष्ठकर समझा जाता है। इस प्रकार के छद्मयुद्ध में शक्तिशाली पक्ष को भी हराया जा सकता है। सोवियत संघ जैसे साधन संपन्न सैन्य शक्ति की अफगानिस्तान में पराजय, अमेरिका का वियतनाम, ईराक और अफगानिस्तान में अनुभव तथा बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना का शांति बाहिनी से पराजय आदि अधिक कमजोर विरोधियों के हाथों मजबूत शक्तियों के हार के कतिपय उदाहरण हैं।

इस प्रकार, छद्म युद्ध की एक नई रणनीति प्रचलित की गई है जहां नागरिक समाज युद्ध–स्थल बन गया है। इस छद्मयुद्ध का संचालन आंतरिक एवं बाहरी हिंसक गुटों के द्वारा किया जाता है तथा दोनों का नियंत्रण विदेश से ही होता है। इन छद्म युद्धों में विरोधी देश शत्रु देश के अंदर चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त सशस्त्र दलों को संरक्षण देकर अपने विरोधियों को खून के आंसू रुलाता है। इस गैरपारम्परिक युद्ध नीति ने कमजोर देशों के सामने शक्तिशाली देशों का मुकाबला करने हेतु कम खर्च पर गुप्त कार्यवाही प्रारम्भ करने का मार्ग प्रशस्त किया है। किसी घटना को अंजाम देने के बाद किसी तरह की जवाबदेही न होने के कारण इस गैरपारंपरिक युद्ध–नीति तथा गुप्त–कार्यवाही का लाभ यह है कि इसे कम खर्च में दीर्घ अवधि तक संचालित किया जा सकता है। भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति इन्हीं गुप्त–कार्यवाहियों एवं छद्म नीतियों पर आधारित है। हमारे देश की लचर सरकार, पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय धमकी (nuclear blackmail) और नीतिगत भेद्यता के कारण पाकिस्तान के अभियान यहां लगातार सफल हो रहे हैं।

इन भूमिगत आतंकी दलों की संसाधन इकट्ठा करने की क्षमता, उनकी अंतर्राष्ट्रीय मिलीभगत, हथियारों के जखीरों में सुधार, विभिन्न हिंसक दलों का अंतर्संबंध, जटिल हथियारों एवं आधुनिक संचार उपकरणों तक उनकी पहुंच हमारे लिए दूसरा निराशाजनक कारक है। इसके चलते देश के राष्ट्रीय सुरक्षा–तंत्र के पास वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों द्वारा उनका सामना कठिन हो गया है। आज इस समस्या का जाल विश्वव्यापी स्तर तक फैला हुआ है। भारत में संचालित हो रहे आतंकवादी समूहों को जहां एक ओर पाकिस्तान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है वहीं दूसरी ओर इनकी स्थानीय माफियाओं, बंदूकधारियों, अवैध ड्रग व्यापारियों, सुनियोजित अपराधियों और हवाला आदि अवैध धंधे में लिप्त लोगों से भी गहरी

सांठगांठ है।

कानून और व्यवस्था की इस गंभीर चुनौती से निबटने के प्रति हमारा दृष्टिकोण अनुष्ठान मात्र है। यह हमारे देश के सुरक्षा–प्रबंधन की असमर्थता है कि भूमिगत संगठनों द्वारा अंजाम दिये गए भयानक हिंसा से, जो विधि–प्रक्रिया के अनुसार दण्डनीय है, वे युद्ध की तरह बर्ताव न करके सामान्य अपराध की श्रेणी में रखकर बर्ताव करते हैं। इन अपराधों का मुकाबला युद्ध जैसी रणनीति बनाकर करना होगा। देश का भूमि–कानून भूमिगत संगठनों के पक्ष में अत्यधिक दबाव बना रहा है तथा इसलिए पुलिस और न्यायिक–प्रक्रिया इन संगठनों को दंडित करने और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से इन्हें रोकने में बहुत कठिनाई अनुभव कर रही है। इन समूहों द्वारा अंजाम दिए गए भयानक वारदातों से निपटने के लिए सुरक्षा–तंत्र के मनोबल को हतोत्साहित करने में कुछ हद तक देश का राजनैतिक कारक भी उत्तरदायी है, क्योंकि वह उचित निवारक कानून बनाने और पूर्ण राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ उसके प्रवर्तन में असफल रहा है। राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव भ्रष्टाचार के साथ जुड़कर भारत को एक कमजोर शासन प्रणाली की तरफ ले गया है जिसने राज्य की महत्त्वपूर्ण शक्तियों को निगल लिया है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA) का वापस होना आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन के राजनीतिकरण का एक उदाहरण है।

भारत जैसे उदार लोकतंत्र को गैर सरकारी तत्वों जैसे मीडिया, गैर सरकारी संगठनों (NGO), और विचार मंचों (Think-Tanks) का भी सामना करना पड़ता है। जो बहुधा सुरक्षा–प्रबंधन के कार्य को अवरुद्ध करते रहते हैं। वे कभी–कभी आतंकवादी गतिविधियों को इस प्रकार प्रकाशित करते हैं जिससे कि आतंकवादी गतिविधियां प्रोत्साहित होती हैं तथा सुरक्षा–बलों के कार्यों को प्रोत्साहित करने के बजाय उनकी इस सीमा तक आलोचना करते हैं कि वे हतोत्साहित हो जाएं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा उन समूहों का अनुचित प्रचार किया जाता है जो आतंकवादियों के पक्ष में जनता की धारणा के निर्माण में उनकी मदद करते हैं।

अनुपयुक्त प्रतिकार

अमेरिका ने 11 सितंबर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के तुरंत बाद अपनी सुरक्षा प्रणाली को चुस्त–दुरुस्त किया और कड़े सुरक्षा कानून बनाए तथा सुरक्षा–प्रबंधन के लिए नया बुनियादी ढांचा खड़ा किया। अमेरिका ने होम–लैंड सिक्योरिटी (गृह–भूमि सुरक्षा विभाग) नामक एक नया विभाग बनाया तथा डाइरेक्टर, नेशनल इन्टेलीजेन्स (निदेशक, राष्ट्रीय खुफिया तंत्र) नाम से एक नई संस्था गठित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति बुश ने घोषणा की कि "अमेरिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करता है किन्तु जहां इसका टकराव राष्ट्रीय हितों से होगा वहाँ राष्ट्रीयहित को ही महत्व मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए शीर्ष खुफिया संगठन से दूरस्थ थानों तक ई–कनेक्टिविटी (इलेक्ट्रानिक–संयोजन–तन्त्र) बनाया। एक केंद्रीकृत काउंटर इंटेलीजेंस डाटा बैंक भी

स्थापित किया, जो उन सभी लोगो के लिए सुलभ था जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में लगे हुए थे।

इसके विपरीत भारत ने 26 नवम्बर, 2008 को मुंबई में हुई इतनी बड़ी भयानक आतंकवादी घटना के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था की संरचना में सुव्यवस्थित परिवर्तन नहीं किया। इस संदर्भ में भारत की सोच यह रही कि मात्र सुरक्षा–बलों की संख्या बढ़ाना ही इस समस्या का समाधान है चाहे सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण व्यवस्था एवं संसाधनों में कोई सुधार हो या न हो। फलतः भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन नहीं किया। सरकार द्वारा आतंकवादियों, राजद्रोहियों, नक्सलियों एवं विद्रोहियों से निपटने के लिए न तो विशेष प्रशिक्षणों और न ही नवीन हथियारों पर ध्यान दिया। जब कोई घटना घटती है तब भारत उस घटना के विश्लेषण तथा उसके द्वारा पहुँचाई गई क्षति पर ध्यान केन्द्रित करता है न कि उसके उचित प्रतिउत्तर पर। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए वस्तुतः एक राज्य को सामरिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर अनिवार्य रूप से प्रत्याशित खतरों से निपटना आवश्यक है। किसी भी खतरे का सही विश्लेषण एवं पूर्वानुमान एक आधारभूत आवश्यकता है, लेकिन यह स्वयं में कोई समाधान प्रदान नहीं करता जबतक कि निर्धारित और सही समय पर उचित प्रतिक्रिया द्वारा इस पर अमल न किया जाय। यह तभी संभव है जब राज्य अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित करता है तथा अपने श्रेष्ठतम मानव एवं भौतिक संसाधनों को सक्रिय करता है तथा सुरक्षा–तंत्र में प्रणालीगत सुधार लाता है और खतरों को प्रभावहीन करने की क्षमता स्थापित करता है। हमारी सरकार ने यहां तक कि मुंबई की भयानक घटना के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा, जो खतरे की घंटी थी, अब तक वह अपनी रणनीति और कूटनीति में सुधार करने में बुरी तरह नाकाम रही है।

राज्य पुलिस प्रशासनिक अधिकार एवं प्रशासन प्रणाली की प्रत्यक्ष प्रतीक है। पुलिस की विफलता से सरकार एवं प्रशासन की न केवल साख घटती है, बल्कि अपराधियों का मनोबल भी बढ़ता है। इसके लिए पुलिस व्यवस्था में सुधार, प्रशिक्षण तथा उसके मनोबल में विकास की अपरिहार्य आवश्यकता है। पुलिस बल को संवेदनशील बनाना बहुत आवश्यक है जिससे वह समाज एवं व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। पुलिस को आधुनिक साज–सज्जा से लैस कर इतना सबल बनाना होगा जिससे उसकी गिरती छवि को उठाया जा सके।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (CPMFs) ने सुरक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाई है। पुलिस की गिरती छवि एवं कार्यक्षमता में ह्रास के कारण केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों (CPMFs) की आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि छोटी–छोटी परेशानी में भी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल को ही बुलाया जाता है। जिस कार्य के लिए उनका गठन किया गया था उसकी तुलना में अक्सर उनको लम्बे समय के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य कार्यों में लगाये रखा जाता है। इसका उनके प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आज ऐसा दृढ़ता से अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक अर्द्धसैनिक बल को अपनी मूल भूमिका में पुनः वापस आना चाहिए। इन बलों का आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए और इन्हें उन कार्यों का सामना करने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिनसे प्रचलित आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में

सामना करने की इनसे अपेक्षा की जाती है। हमारे देश में अर्द्धसैनिक बल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए तैनात किए गए हैं। आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 22 प्रतिशत सैन्य दस्ता अपनी सुरक्षा के लिए तैनात है और 45 प्रतिशत अति विशिष्ट व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अवकाश और प्रशिक्षण के लिए आरक्षित 11 प्रतिशत एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न 5 प्रतिशत सैन्य कर्मियों के बाद जो संख्या वास्तव में सामरिक गतिविधि संचालित करने के लिये शेष बची वह 20 प्रतिशत से कम है। शक्तिशाली कानूनों के अभाव में बढ़ी हुई सामरिक स्तर की खुफिया जानकारी तथा निर्भीक राजनीतिक निर्णयों, नये सामरिक और रणनीतिक विचारों की कमी से आंतरिक सुरक्षा के कमजोर परिणाम के साथ हम परम्परागत जवाबी कार्यवाही में फंस गए हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान भारत के आंतरिक सुरक्षा के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ है। भारत की अतीतकालीन आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं अर्थात् परम्परागत सामाजिक अव्यवस्था, साम्प्रदायिक उपद्रव, सामाजिक एवं आर्थिक सन्दर्भ और राजनैतिक विवाद को शत्रुतापूर्ण बाहरी शक्तियों द्वारा प्रायोजित गुप्त कार्रवाई द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ये बाह्य शक्तियां अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए देश की आंतरिक कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। वामपंथी अतिवाद के अलावा देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों के साथ पारम्परिक आन्तरिक खतरा निरंतर कम हुआ है। आज इसके स्थान पर बाहरी कारक प्रवेश कर गये हैं जो आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, छद्मयुद्ध, विद्रोह, विध्वंस, जासूसी गतिविधियों, साइबर क्राइम, मुद्रा –जालसाजी, हवाला लेनदेन एवं बांग्लादेशी घुसपैठ आदि को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही एक वरिष्ठतम पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी कुर्बान अली द्वारा भारत में आंतरिक अशांति को बढ़ावा देकर देश को छोटे–छोटे परस्पर विरोधी राज्यों में विभाजित करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। वे भारत के खुफिया विभाग में उप–निदेशक के पद पर नियुक्त थे तथा विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और वहां खुफिया विभाग के निदेशक नियुक्त किए गए थे। उनके इस सिद्धान्त को 'कुर्बान अली डाक्ट्रिन' के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत इस बात का आह्वान करता है कि "भारत को हजार घाव दो, देश को छोटे–छोटे टुकड़ों में बाँट दो, उसको इतना असहाय बना दो कि वह न तो अपनी रक्षा कर सके न पड़ोसियों की"। पाकिस्तान द्वारा यह प्रक्रिया 1948 में सर्वप्रथम कश्मीर में प्रारम्भ की गयी थी। पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के प्रधान सेनापति गुल हसन खान के एक बयान ने यह खुलासा किया था कि उनके देश के "बुजुर्ग राजनेता–कुर्बान अली" ने हैदराबाद के विलय के लिए चल रहे संघर्ष के दौरान इस्लामी गिरोहों के लिये हथियारों के आपूर्ति की गुप्त व्यवस्था की थी। गुल हसन ने यह कुबूल किया कि कुर्बान अली के इशारे पर ही पाकिस्तान द्वारा 1951 में जम्मू–कश्मीर में टेलीफोन लाइनों, पुलों एवं अतिथि गृहों का विनाश करवाया गया। 1977 में जिया–उल–हक के सत्तासीन होने के बाद उनके द्वारा इस प्रक्रिया को भारत के अन्य भागों में फैलाया गया। 1990 से पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध इस प्रकार के युद्ध को और अधिक तीव्र किया है।

जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति				
वर्ष	घटनायें	मारे गये सुरक्षा बल	मारे गये नागरिक	मारे गये आतंकवादी
2005	1990	189	557	917
2006	1667	151	389	591
2007	1092	110	158	472
2008	708	75	91	339
2009	499	79	71	239
2010	488	69	47	232
2011	340	33	31	100
2012	220	15	15	72
स्रोत : http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AR(E)1213.pdf				

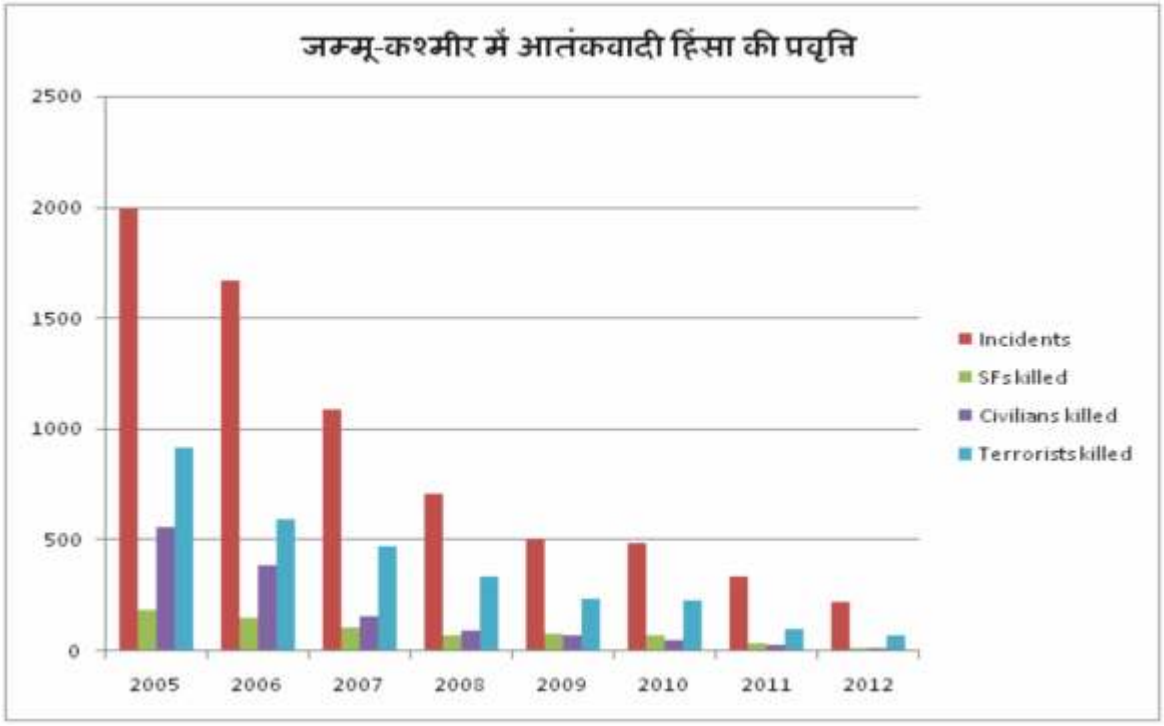

II खुफिया सूचना प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत को ऐसा खुफिया तंत्र विरासत में मिला जो औपनिवेशिक साम्राज्य के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करता था। भारत ने स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं और स्वतंत्रता के बाद संभावित आंतरिक एवं बाह्य खतरों के मूल्यांकन के बिना तथा अपने संगठनात्मक उद्देश्यों को बिना पुनर्परिभाषित किए सुरक्षा–प्रबंधन का एक ही सूत्र पकड़कर उसी उपनिवेशकालीन खुफिया तंत्र एवं उसी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यों का त्यों जारी रखा। इसप्रकार, खुफिया जानकारी जुटाने की वही पुरानी प्रणाली हमारे देश में सत्ता में बैठे लोगों के शासन की रक्षा और उसे बनाये रखने के लिए एक साधन बन गई। इस बात पर विचार नहीं किया गया कि स्वतंत्रता के बाद नई–नई समस्याओं के कारण इस कार्य प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप यह प्रणाली राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर प्रभाव डालने वाली इसकी विविध जिम्मेदारियों की अनदेखी कर सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा में संलग्न होकर अपने कार्य में व्यस्त हो गई। जबकि इसका कार्य देश को सुरक्षा सुनिश्चित करवाना था। खुफिया सूचना प्रबंधन में यह बात न जाने कैसे घर कर गई कि सत्ता में बैठे लोगों और समूहों के राजनीतिक हितों की सेवा ही उनका परम कर्तव्य है। कुछ सीमा तक इस आधारभूत कमजोरी को तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा उस समय सुधारा गया जब 2001 में मंत्री समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहली बार सरकार ने खुफिया एजेंसियों के चार्टर को परिभाषित किया था।

यद्यपि जब 1962 में चीन से हुई पराजय के बाद सुरक्षा–व्यवस्था में सुधारों की तत्काल आवश्यकता के लिए चारों तरफ हो–हल्ला मचा हुआ था, तब सरकार का इस बात पर ध्यान गया था। परिणामस्वरूप इस संदर्भ में समितियों का गठन किया गया और साज–सज्जा में कुछ नाममात्र के ऊपरी बदलाव किए गए। इन परिवर्तनों के बावजूद भी आज जब भी कोई प्रकरण सामने आता है, कोई घटना घटित होती है तो खुफिया तंत्र की विफलता के विषय में बार–बार प्रश्न उठते रहते हैं। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है और भारतीय खुफिया तंत्र राष्ट्रीय अपेक्षाओं पर खरा उतरने में असफल सिद्ध होता है, तब देश की सरकार द्वारा वैश्विक परिदृश्य का बहाना बनाकर यह दलील पेश की जाती है कि ऐसी घटनाएं चारों तरफ घटित हो रहीं हैं, भारत कोई अपवाद नहीं है। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि प्रायः खुफिया संगठनों को गोपनीयता के तहत अपने कामकाज के चलते अकारण ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। खुफिया तंत्र की उपलब्धियां गोपनीयता के घेरे में रहती हैं यह एक तथ्य है जबकि उसकी विफलताएं अक्सर संदेह, अटकलबाजी, समझ की कमी के चलते खुफिया तंत्र के जटिल ऑपरेशन और इसके कर्मचारियों के ईमानदार तथा समर्पित कामकाज पर ध्यान दिए बिना जनता के मध्य गम्भीर विमर्श का विषय बनती हैं।

इसमें संदेह नहीं है कि विलम्ब से ही सही खुफिया सूचना प्रबंधन में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार अवश्य हुए हैं, परन्तु बढ़ी हुई वैश्विक एवं आस–पड़ोस की जटिलताओं तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा खतरों को देखते

हुए भारत के खुफिया तंत्र में सुधार की नहीं अपितु आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज भारतीय खुफिया तंत्र को इस बात की आवश्यकता है कि वह विश्व को पूर्णतः भविष्य के परिदृश्य देखना शुरू करे। भविष्य में होने वाली अनहोनी घटनाओं से प्रभावी रूप से निबटने के लिए आज मजबूत खुफिया तंत्र और सशक्त सुरक्षा प्रणाली तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है।

खुफिया तंत्र मे बदलाव लाए बिना पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना कठिन होगा। जिसने अफगानिस्तान में युद्ध के समय पश्चिमी सहायता, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के वैश्विक तंत्र, मुस्लिम जगत, नशीली दवाओं के गिरोहों एवं हथियार–तस्करों के साथ मिलकर एक विशाल गुप्त युद्ध के लिए आधारभूत ढांचा स्थापित किया है। पाकिस्तान ने भारत को लहू–लुहान एवं अस्थिर करने के लिए इस औजार का फिर से प्रयोग किया है। प्रशिक्षण के बाद वहां सैनिकों को यह शपथ दिलाई जाती है कि उन्हें भारत को खंड–खंड करना है। पाकिस्तान इस छद्म युद्ध को सार्वभौम जेहाद के खतरे में पूरी तरह परिवर्तित करने की आशा के साथ अफगान प्रतिरूप का पुनः कश्मीर में प्रयोग करना चाहता है। छद्मयुद्ध प्रणाली पाकिस्तान के युद्धनीति का एक भाग बन गई है और इसकी शासकीय नीति के लिए एक औजार भी बन गयी है। पाकिस्तान अपने गुप्त लड़ाई के उपकरणों को कम करने कदापि नहीं जा रहा है क्योंकि उसके लिए यह राजनीतिक एवं कूटनीतिक वार्ताओं की अपेक्षा भारत के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का एक सस्ता का विकल्प है ।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु और मिसाइल क्षमता अर्जित कर ली गई है, जिससे उसकी 'ब्लैकमेलिंग' की क्षमता बढ़ गई है। पाकिस्तान की यह क्षमता भारतीय परम्परागत सैन्य श्रेष्ठता एवं उसकी क्षमता के उपयोग के लिए अग्निपरीक्षा है। यदि भारत पाकिस्तान पर अपनी युद्ध–नीति को बदलने के लिए दबाव बनाना चाहता है तो उसको अपने सामारिक–सिद्धान्तों पर पुनर्चर्चा करनी होगी, नई सुविधाओं के विकास के लिए नई क्षमताओं का सृजन करना होगा। पाकिस्तान के छद्मयुद्धनीति से निपटने के लिए भारत को भी छद्मयुद्ध की नीति अपनानी होगी। यह काम खुफिया संस्थाओं द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकता है। परंतु इस सब के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

वर्तमान में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई द्वारा बनाए गए लगभग तीन सौ माड्यूल भारत में कार्यरत हैं। आज सर्वप्रथम खुफिया तंत्र को भारत में सक्रिय इन माड्यूलों को प्रभावहीन करने की जरूरत है। आईएसआई द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त पाकिस्तानी युवाओं की एक बड़ी संख्या को भारतीय नागरिकों के वेश में रणनीतिपूर्वक भूमिगत–नेटवर्क (Covert network) के तहत देश के विभिन्न भागों में तैनात किया गया है। कुकुरमुत्ते की तरह मदरसा और इस्लामी संस्थाओं का विकास एक चिंता का विषय है क्योंकि उनमें से अधिकांश भूमिगत–युद्ध–नेटवर्क के भाग बन गए हैं और नफरत एवं विद्वेष की विचारधारा का खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कर रहे हैं। आईएसआई ने बांग्लादेश, नेपाल एवं मध्य–पूर्व में भारत विरोधी गुप्तचर, विनाशकारी और विध्वंसकारी तंत्र स्थापित किया है। पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए ऐसे विस्तृत गुप्त–कार्यवाही–नेटवर्कों का पता लगाने में हमारे देश की खुफिया सूचना–प्रबंधन की परम्परागत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। इसलिए इन खतरों से निपटने में सक्रिय भूमिका निभाने के

लिए एक पूर्णतः परिवर्तित एवं संवर्द्धित खुफिया तंत्र एकमात्र साधन है, जिसकी आज हमें अपरिहार्य आवश्यकता है।

कुछ वर्षों पूर्व तक मानवीय प्रतिभा ही भारतीय खुफिया संस्थाओं में सूचना प्रबंधन का मुख्य घटक थी अर्थात् खुफिया सूचनाओं को केवल मनुष्यों के द्वारा संग्रहीत किया जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में इसकी कार्यपद्धति में तकनीकि के उपयोग को सम्मिलित किया गया है लेकिन तकनीकि का उन्नयन और खुफिया संस्थाओं द्वारा इसका एकीकरण भारतीय खुफियातंत्र के लिए भविष्य की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता होगी।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था

भारत जैसे विस्तृत एवं विविधतापूर्ण देश के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना बहुत ही कठिन है। जब तक उसमें नागरिकों की सहभागिता नहीं होती तब तक न तो सूचनाओं का सही संग्रह किया जा सकता है, न ही सुचारु कानून व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अंग्रेजों ने 'चौकीदारी' व्यवस्था प्रारम्भ की थी, जिसमें एक चौकीदार पुलिस स्टेशन का अंशकालिक कर्मी होता था और ग्राम स्तर पर सूचनाएं एकत्रित करके प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी को पहुंचाता था। इसप्रकार सभी स्थानीय समाचार जैसे जन्म–मरण, नये व्यक्तियों के आने–जाने एवं अन्य सभी घटनाओं की जानकारी पुलिस को हो जाया करती थी। यह खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की अत्यंत प्रभावी व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। आज चौकीदारी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का समय आ गया है ।

आज समाज में ऐसे बहुत से राष्ट्रभक्त नागरिक हैं जिनको अगर प्रोत्साहित किया जाय तो वे आतंकवाद, उग्रवाद, चरमपंथ तथा देश के समक्ष आसन्न अन्य विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सहयोग लेने के लिए नए तरीके खोजने होंगे, ताकि वे प्रभावी रूप से सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें।

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के प्रयास 2005 से अक्टूबर 2012 तक

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	अक्टू. 2012
कुल	597	573	535	342	485	489	247	249

स्रोतःhttp://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AR(E)1213.pdf

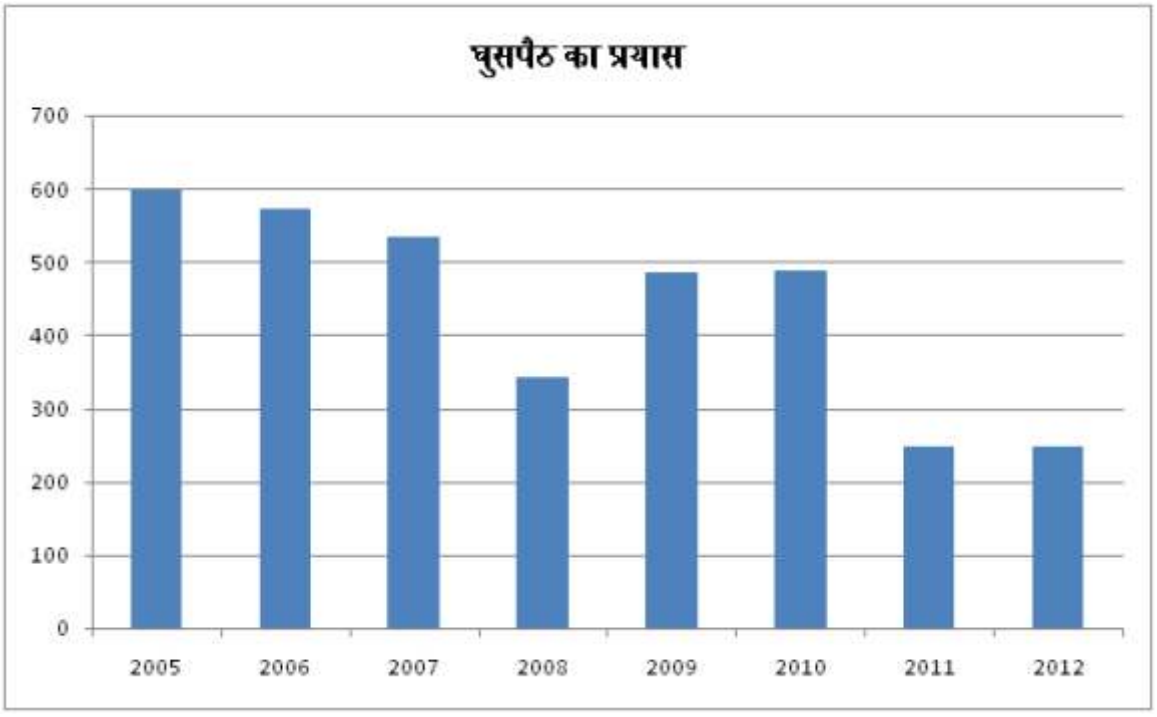

पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति 2007 से 2013 तक की अवधि के दौरान (28.02.2013 तक)							
वर्ष (Head)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (28.02.2013 तक)
घटनायें	1489	1561	1297	773	627	1025	
मारे गये/गिरफ्तार किये गये/आत्मसमर्पण करने वाले चरमपंथी	2875	4318	3842	3306	2746	3562	524
मारे गये सुरक्षा बल	79	46	42	20	32	14	004
मारे गये नागरिक	498	466	264	94	70	97	007
स्रोत: http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AR(E)1213.pdf							

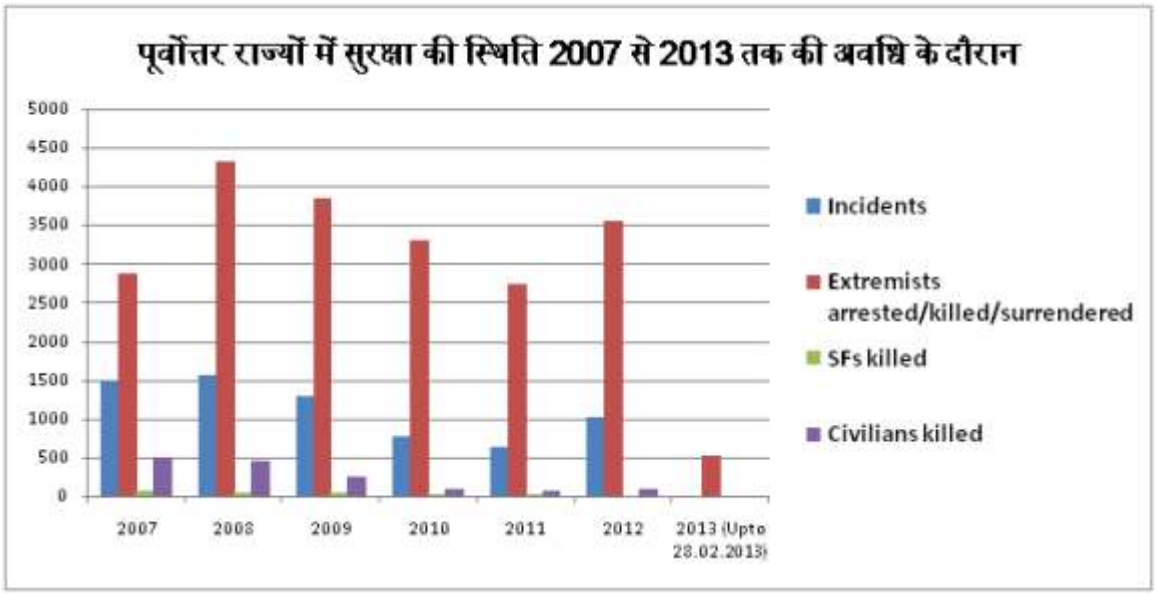

III वामपंथी आतंकवाद

जेहादी आतंकवाद के अतिरिक्त वामपंथी आतंकवाद देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर खतरा बनकर उभरा है। इसने 2004 के बाद से और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है जबसे पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (MCC) की दलीय एकता एवं अन्य छिटपुट बिखरे हुए समूहों ने आपस में मिलकर भाकपा (माओवादी) का गठन किया है। नक्सलवाद के इस तरह निरंतर विकास का लक्ष्य अपने खतरनाक राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सहायता प्राप्त करना तथा अंत में बंदूक के बल पर सत्ता अर्जित करना है। उन्होंने बड़ी संख्या में जनजातीय एवं गैर जनजातीय जनता का शोषण किया है तथा उनके हृदय में देश के प्रति असंतोष भरा है। इन चरमपंथियों ने सामाजिक एवं आर्थिक अन्याय के विरुद्ध तथा प्रमुख जल–विद्युत परियोजनाओं एवं आदिवासी क्षेत्रों में बृहद् खनन के चलते आदिवासी जनसंख्या के बड़े स्तर पर विस्थापन के विरुद्ध एक सशस्त्र संघर्ष प्रारम्भ करने का आह्वान किया है। इससे आदिवासी जनता के मध्य इनका प्रभाव बढ़ा है तथा इनका साम्राज्य 2001 में 9 राज्यों के 53 जिलों से अब तक 18 राज्यों के लगभग 252 जिलों तक फैल चुका है। इसप्रकार वर्तमान में देश के लगभग 40 प्रतिशत भू–भाग पर वामपंथी चरमपंथियों का जाल फैला हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा एवं बिहार नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं ।

सशस्त्र छापामार नक्सलियों की संख्या एवं शक्ति जो 2004 के पूर्वार्द्ध में लगभग 7,000 थी आज बढ़कर लगभग 16,000 हो गई है। आज वामपंथी चरमपंथियों के पास बहुत अधिक हथियार हैं, जिनमें लगभग 900 एके47 राइफल, 200 लाइट मशीन गन और स्थानीय स्तर पर निर्मित रॉकेट लांचर आदि सम्मिलित हैं। उनके पास 85 से अधिक ऐसे परिसर हैं जहाँ वे रणकौशल और कार्यक्षेत्र के विषय में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उनके तथाकथित "पीपुल्स लिबरेशन आर्मी" के सदस्यों को नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए उनके पास एक सशक्त वित्तीय आधार है। वे एक वर्ष में लगभग 1,200 करोड़ रुपए की निश्चित पूंजी इकट्ठा करते हैं। इन चरमपंथियों ने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों एवं जंगल के भीतरी क्षेत्रों में भी सामरिक कौशल, भूभाग का ज्ञान एवं खुफिया क्षमताएं हासिल कर ली हैं। जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनका सामना करना कठिन हो रहा है।

जंगलों में माओवादियों से लड़ना कश्मीर में अलगाववादियों एवं आतंकवादियों तथा पूर्वोत्तर में उग्रवादियों से लड़ने की अपेक्षा अधिक कठिन हो गया है। केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के आधिकारिक आकड़ों से यह पता चलता है कि माओवादियों के कारण प्रत्येक तीन दिन में कम से कम एक सुरक्षाकर्मी अपना जीवन खोता है। माओवादी क्षेत्र में 2011 से 2013 के मध्य मरनेवाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या 371 थी तथा इस क्षेत्र में हिंसा की घटनाएं 4,311 थीं। उसी अवधि में सभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मरने वालों की संख्या 237 थी और हिंसक घटनाओं की संख्या 3,123 थी । स्थिति यह है कि हमारे सुरक्षाबलों के लिये अत्यधिक संघर्ष वाले क्षेत्र जैसे जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं मेघालय, माओवादियों के गढ़

झारखण्ड, छत्तीसगढ़ अथवा ओडिशा की अपेक्षा अधिक सुरक्षित प्रतीत होते हैं। आतंकवाद शत्रु देशों की उपज है परंतु माओवादियों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। वे देश के अंदर ही विभिन्न भागों से समर्थन प्राप्त कर रहें हैं। सरकार उनके समक्ष स्वयं को असमर्थ अनुभव कर रही हैं। पूर्वोत्तर में उग्रवाद को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है पर माओवादियों के साथ ऐसा नहीं है। माओवादियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाला मुख्य सुरक्षा–बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) है, जो इस समय सबसे अधिक कठिन परिस्थितियों से प्रभावित है एवं संकटों से गुजर रहा है। अर्द्धसैनिक बलों के मध्य सीआरपीएफ में जवानों के मारे जाने की दर सर्वाधिक है। लगातार जंगलों में रहने एवं कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने के कारण इन जवानों का मनोबल भी काफी घटा है इसीलिए अर्द्धसैनिक बलों में होने वाली आत्महत्याओं में सीआरपीएफ के जवानों की आत्महत्या का दर 40 प्रतिशत है। सीआरपीएफ में आत्महत्या की यह निराशाजनक प्रवृत्ति गृह मंत्रालय के लिए चिन्ता का विषय बन गई है। नक्सलवाद एक से अधिक तरीकों से सुरक्षा बलों से अपना मूल्य चुकता कर रहा है। पिछले पाँच वर्षों में सीआरपीएफ 700 लोगों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का साक्षी रहा है।

माओवादी क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। पिछले तीन वर्षों में नक्सलियों एवं सुरक्षा बलों के मध्य मुठभेड़ में लगभग एक हजार नागरिक मारे गये हैं। जबकि अन्य उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों के मृत्यु की संख्या 389 है। वस्तुतः माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में मारे गए नागरिकों की संख्या सुरक्षा बलों और मारे गए माओवादियों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक है।

नक्सलवाद में कई तत्व सम्मिलित हैं, जो इस समस्या को दुःसाध्य बना देते हैं। विस्तृत एवं पहुंच से बाहर अपर्याप्त रूप से शासित भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करना और उसे साफ–सुथरा बनाना कठिन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना और किस स्तर का सैन्य बल उसके लिए लगाया गया है। बड़ी संख्या में ऐसी असंतुष्ट एवं अलग–थलग जनसंख्या जिसने दशकों से सामाजिक और आर्थिक उपेक्षा सहन किया है, का पूरा फायदा माओवादियों को मिला है। इस प्रकार मौजूदा हालात ने माओवादियों के लिए आदिवासियों के मध्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के झूठे वादे का प्रचार आसान बना दिया है, जो उन्हें न्याय देगी, शोषण से मुक्त करेगी तथा नौकरी उपलब्ध कराएगी एवं उनके जीवन–पद्धति का संरक्षण करेगी। वर्तमान भ्रष्ट एवं संवेदनहीन सरकार देश की भोलीभाली जनता को बहुत ही आसानी से माओवादियों का ग्रास बनने दे रही है। माओवादी भिन्न–भिन्न लोगों को भिन्न–भिन्न वस्तुओं का वादा करके अपने लिए जनसमर्थन इकट्ठा करने के लिए.सभी स्थानीय असंतोषों, शिकायतों एवं संघर्षों का अपने हित में लाभ उठाने में सक्षम हैं।

भाकपा (माओवादी) का प्रमुख निकाय एक सुगठित संगठन है। इसका सर्वोच्च निर्णयकारी समूह केन्द्रीय समिति है, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। उसके बाद इसमें राज्य समितियां, जिला समितियां, मंडल समितियां और स्थानीय समितियां होती हैं। विशेष उद्देश्यों के लिए इनमें तकनीकि और विशेषज्ञ समितियां भी होती हैं। इन समितियों के अतिरिक्त इसके पास केंद्रीय सैन्य समिति (CMC) नामक एक पृथक समिति भी

होती है जो छापामार गतिविधियों के निर्देशन एवं हथियारों के खरीद–फरोख्त के लिए उत्तरदायी है। पूरा संगठन केन्द्रीय समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके सशस्त्र संवर्ग के लगभग 30 कमांडर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) के नाम से जाने जाते हैं, जो भाकपा (माओवादी) का सैन्य घटक है। वे राजनीतिक विषयों में सीमा रेखा का निर्धारण, संसाधनों पर नियंत्रण एवं रणनीतियों का निर्माण करते हैं। छोटे–मोटे कुल 16,000 कमांडरों का सशस्त्र संवर्ग और कई समर्थक केवल भोले–भाले आदिवासी एवं गरीब लोग हैं जिनको इन्होंने अपने शातिर प्रचार और पैसे की लालच के बल पर गुमराह किया है। इन कारकों के अतिरिक्त कभी–कभी इनके द्वारा गरीब आदिवासियों को बंदूक की नोक पर दल में शामिल होने के लिए बाध्य किया जाता है। बंदूक के डर से गरीब आदिवासी जनता को सम्मिलित होने के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं दिखता। आदिवासी क्षेत्रों में यह प्रायः देखा गया है कि जिन्होंने इनका विरोध किया है वे या तो मार डाले गये हैं अथवा विकलांग बना दिये गये हैं। यद्यपि विलम्ब से ही सही अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कड़ी कार्यवाही से इनके शीर्ष नेताओं तथा उनकी गतिविधियों को निष्प्रभावी करके इनको वैचारिक रूप से कमजोर बना दिया गया है। इनमें असंतोष का भाव भी देखा जा रहा है एवं इनका उत्साह भी काफी हद तक भंग हुआ है। यह भी सूचना मिली है कि इन माओवादियों के मध्य नेतृत्व के लिये संघर्ष, धन के स्रोतों में व्यवधान और फंड में गबन आदि चल रहा है जो मूल रूप से इनके आंदोलन को कमजोर कर रहा है। इनके समर्थकों के बीच वैचारिक मुद्दाविहीनता ने आंदोलन को संगठित अपराध के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए पुलिस कार्यवाही के अतिरिक्त एक विश्वसनीय, केन्द्रित और निरंतर मनोवैज्ञानिक आक्रामकता इस आंदोलन को बेनकाब करने के लिये अपरिहार्य रूप से आवश्यक है।

माओवादी जबरन वसूली, भ्रष्ट सरकारी अपराधियों से संग्रह, घूस तथा संपन्न भूस्वामियों, व्यवसायियों, ठेकेदारों एवं ट्रान्सपोर्टरों आदि से लेवी द्वारा धन–संग्रह करते हैं। इसके अतिरिक्त माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दिए गए धन में से लेवी के रूप में वे अपना हिस्सा सरकारी अधिकारियों से वसूलते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि माओवादी हर वर्ष लगभग 1,200 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में समर्थ हैं। इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि का इकट्ठा होना नए कैडर बनाने, हथियारों को प्राप्त करने और अपने प्रभाव–क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए माओवादियों के सशक्तिकरण का एक महत्त्वपूर्ण आधार है। इनके द्वारा एक नवनियुक्त युवा को प्रतिमाह 2000 से 2500 रुपए दिए जाते हैं, जो गरीबी से प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को इनकी तरफ आकर्षित करने तथा इनके अभियान में शामिल होने के लिए लुभाने हेतु एक अच्छी खासी रकम है।

राज्यवार वामपंथी उग्रवादी हिंसा 2009 से 2012 तक

	2009		2010		2011		2012	
	घटनायें	मृत्यु	घटनायें	मृत्यु	घटनायें	मृत्यु	घटनायें	मृत्यु
आन्ध्रप्रदेश	66	18	100	24	54	09	67	13
बिहार	232	72	307	97	316	63	166	44
छत्तीसगढ़	529	290	625	343	465	204	370	109
झारखण्ड	742	208	501	157	517	182	480	163
मध्यप्रदेश	1	0	7	1	08	00	11	0
ओडिशा	266	67	218	79	192	53	171	45
उत्तरप्रदेश	8	2	6	1	01	00	02	0
प. बंगाल	255	158	350	258	92	45	06	0
अन्य	5	0	5	0	06	01	08	0
कुल	2258	908	2213	1005	1760	611	1415	415

स्रोत : http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AR(E)1213.pdf

IV पूर्वोत्तर एवं जनांककीय आक्रमण

बांग्लादेश से लगातार हो रहा जनांककीय आक्रमण सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। सीमावर्ती जिलों में बेरोकटोक अवैध आव्रजन ने वहां पूर्णतः जनांककीय परिवर्तन कर दिया है। यहां तक कि वहां मूल निवासियों को अपनी जमीन बेचने और सुरक्षित स्थान की ओर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। सरकार के उदासीन रवैए के कारण स्थिति इस स्तर तक खराब हो गई है कि घुसपैठिए अधिक खूंखार और दुःसाहसी बन गए हैं और उनका अवैध आव्रजन आज उनके अधिकार का प्रश्न बन गया है फलस्वरूप असम एवं बांग्लादेश दोनों स्थानों पर बृहत् बांग्लादेश के गठन की मांग उठने लगी है। यह निश्चित ही गम्भीर चिंता का विषय है कि इतनी खतरनाक घटनाओं के घटने के बाद भी राजनेता वोटबैंक की राजनीति के चलते इस सन्दर्भ में बहरे बने हुए हैं ।

घुसपैठिए केवल पूर्वोत्तर सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं अपितु वे पूरे देश में फैल रहे हैं और अपने लिए नए आवासों का निर्माण कर रहे हैं। अपेक्षित पहचान प्रकिया की कमी और देश में प्रचलित भ्रष्टाचार के कारण उनमें से अधिकतर घुसपैठिए स्थानीय राजनीतिक संरक्षकों की सहायता से पहचान–प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मुस्लिम पैर जमाने के लिये उनका रास्ता आसान बनाते हैं एवं राशन कार्ड, पहचान प्रमाण–पत्र, आश्रय, नौकरी एवं राजनैतिक संरक्षण उपलब्ध करवाने में उनकी सहायता करते हैं।

बड़े स्तर पर घुसपैठ न केवल जनांककीय परिवर्तन का कारण बना है अपितु इसने सामाजिक संघर्ष में भी वृद्धि की है। इसने हमारे देश के नागरिकों को आर्थिक एवं नागरिक सुख–सुविधाओं से वंचित किया है और आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला है। ये घुसपैठिए आतंकवाद का समर्थन करके उसको आधार प्रदान करते हैं। इनके चलते उन आतंकवादियों एवं कट्टरपंथियों के लिए जो अब तक सुरक्षित आधार के रूप में बांग्लादेश का उपयोग कर रहे हैं और नए आधार की तलाश में है, इन घुसपैठियों का सुविधाजनक पनाहगाह अब एक नया सुरक्षित आधार बन गया है। बांग्लादेश की लम्बी खुली सीमा, बांग्लादेश राइफल से समर्थन और भारत की भ्रष्ट प्रशासन–प्रणाली आदि तत्व मिलकर बिना किसी परेशानी के अवैध आव्रजन को आसान बना रहे हैं। यदि बांग्लादेश के बढ़ते दबाव और भारत के पीछे हटने की प्रवृत्ति के पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह बात इतनी खतरनाक अवस्था तक पहुंच जाएगी जो न केवल सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध होगी अपितु भविष्य में देश के लिये विभाजनकारी भी सिद्ध हो सकती है।

पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश जेहादी आतंकवाद का केन्द्र बन गया है। जहां आतंकवादी संगठनों जैसे हरकत–उल–जेहादी इस्लामी, हरकत–उल–अंसार, ओकाये जोते, जमाते इस्लामी बांग्लादेश और दर्जन भर से अधिक आतंकवादी संगठनों ने अत्यधिक भयावह उद्देश्यों के साथ पहले से ही अपने पैर जमा रखे हैं। बांग्लादेश में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि सीधे तौर पर भारत से संबंधित है विशेषकर देश के

उत्तर–पूर्व भाग से। इन संगठनों का एकमात्र उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है। गिरफ्तार पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकवादियों से की गई पूछताछ इस संदर्भ में बेहद संदेहास्पद है। ये आतंकवादी संगठन भारतीय युवाओं को पथ–भ्रष्ट करके, उनको बहला–फुसलाकर तथा उन्हें बांग्लादेश में प्रशिक्षण देकर एवं हथियारों से लैस करके भारत में आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिये तैयार कर रहे हैं। सामरिक कारणों से पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में स्थित इनके आकाओं ने इन्हें तब तक आक्रमण न करने का परामर्श दिया है जब तक इनकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती और इनके पक्ष में अपेक्षित राजनैतिक वातावरण नहीं बनता। इस समय इन्होंने मुस्लिम नेताओं के सहयोग से अप्रवासी मुसलमानों के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। यदि भारत शीघ्र–अति–शीघ्र सुधारात्मक उपाय आरंभ नहीं करता तो इन संगठनों की दीर्घावधि तैयारियों के साथ, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा एक हिंसक सशस्त्र विद्रोह, सामरिक मार्गदर्शन और बाहरी वित्तीय सहायता को भविष्य में हटाया जाना बहुत कठिन होगा।

जहां तक देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी एवं अलगाववादी स्वर एक गम्भीर चिंता का विषय है। इस क्षेत्र की 5,215 किलोमीटर सीमा उत्तर में चीन (दक्षिण तिब्बत), पूर्व में म्यांमार, दक्षिण–पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर–पश्चिम में भूटान के साथ मिलती है। जबकि चीन से जिसका भारत के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं है, पूर्वोत्तर में लगभग 1,561 किलोमीटर सीमा मिलती है। बांग्लादेश और भारत की 2,429 किलोमीटर की लम्बी सीमा एक दूसरे का स्पर्श करती है। इस प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों की इतनी लम्बी सीमा का प्रबंधन भी भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिये चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में बाहरी कारक पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रबंधन में महत्वपूर्ण घटक रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे।

1980 तक चीन का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में संदिग्ध आचरण रहा है। एक लंबी खामोशी के बाद इस बात के प्रमाण मिले हैं कि चीन ने पूर्वोत्तर के अलगाववादी एवं बगावती तत्त्व से फिर सांठ–गांठ आरम्भ कर दी है। वह अपने गुप्त आक्रमणों को पुनः शुरू कर रहा है। उभरती आक्रामकता, सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य–गतिविधियां, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और पूर्वोत्तर के विद्रोही समूहों एवं नक्सलियों के साथ संबंधों को ध्यान में रखते हुये पूर्वोत्तर के विद्रोह में चीन की नए सिरे से उत्पन्न रुचि को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

बांग्लादेश और म्यांमार में विद्रोहियों के ठिकाने पूर्वोत्तर के उग्रवाद को बनाये रखने का मुख्य आधार हैं। सुरक्षित ठिकाने के अतिरिक्त इन देशों का उग्रवादियों द्वारा हथियारों के अवैध खरीद–फरोख्त, उनके नेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें मार्ग प्रदान करने के लिये प्रयोग किया जा रहा है। चरमपंथियों को शरण प्रदान करने के पीछे इन देशों को अपने कूटनीतिक लाभों में से एक लाभ यह है कि उनके द्वारा ये भारत में अवैध घुसपैठ को प्रेरित कर रहे हैं।

V आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिऐ उपाय

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने बनाने हेतु कुछ सुझाव

- खुफिया तंत्र को सुधारने नहीं अपितु उसमें तत्काल बदलाव की जरूरत है। एक संघीय खुफिया एजेंसी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिए इस प्रस्ताव पर सहमति हेतु राज्य सरकारों से संपर्क किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (NSE) और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति को पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी रणनीति तैयार करनी चाहिए। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिये।
- केन्द्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्रियों को उनके द्वारा सुरक्षा–प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के सन्दर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये।
- जिस समय सुरक्षा–बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाये जा रहे हैं उस समय मुख्यमंत्री एवं सम्पूर्ण राज्य–प्रशासन को विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।
- प्रभावी रूप से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुशल पुलिस संगठन के देख–रेख के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाना चाहिए।
- राज्यों के पुलिस–बल का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये जिसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आधुनिकीकरण अनुदान प्रदान किया जाना चाहिये।
- केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सुप्रशिक्षित और सुविधाओं से लैस नागरिक एवं सैन्य बलों को रखने के लिये सहयोग प्रदान किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेषीकृत सैन्यबलों को तैयार करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- प्रत्येक राज्य को सुविधाओं से लैस एवं आधुनिक फोरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।
- राज्य सरकारों को पुलिस चौकियों की नियमित एवं सुनियोजित कार्यपद्धति को पुनर्स्थापित

करना चाहिये।

- केन्द्रीय पुलिस बल की क्षमताओं में उन्नयन के साथ केन्द्र और राज्यों को राज्यों की पुलिस की विशेष शाखाओं एवं खुफिया ब्यूरो के मध्य परस्पर निकट सम्बन्ध सुनिश्चित करना चाहिये।
- अपने परम उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के विरोध की चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण की तत्काल जरूरत है ।
- केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ गहन विचार–विमर्श करके उग्रवाद के खिलाफ अभियान में उग्रवाद और आतंकवाद तथा परस्पर कार्य–योजना के समन्वय की व्यवस्था एवं विस्तारण इत्यादि को विकसित किया जाना चाहिए ।
- परीक्षणों (trails) के शीघ्र निष्कर्ष के लिए निचली अदालतों द्वारा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों और दंड प्रक्रिया संहिता का उपयोग करने सहित आपराधिक न्याय प्रणाली (सीआरपीसी) में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- पोटा (POTA) जैसे आतंकवाद की रोकथाम के लिए एक मजबूत कानून जितनी जल्दी हो सके अधिनियमित किया जाना चाहिए।
- संगठित अपराध से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA) की सलाह और परामर्श के साथ कदम उठाया जाना चाहिये।
- आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सम्बन्धित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB) इस संबंध में एक केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है।
- यद्यपि वर्तमान संवैधानिक ढाँचे में केन्द्र सरकार के लिये राज्यों के शासन पर नजर रखना एवं उसमें सुधार लाना कठिन है तथापि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के संबंध में एक उत्तरदायी तन्त्र का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकारों से विचार–विमर्श के साथ एक ऐसा तंत्र क्रियान्वित किया जा सकता है जहाँ केन्द्र सरकार सुशासन प्रदान करने में राज्यसरकारों का निर्देशन एवं सहायता कर सके।
- स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के शैक्षिक पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में विभिन्न रचनात्मक तरीकों के माध्यम से कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

- लोगों को यहाँ तक कि जो अनपढ़ हैं उनको भी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में जागरूक करने में सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की समृद्ध क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

- राजनीतिक दलों की शासन–व्यवस्था को बनाये रखने एवम् उसके प्रति लोगों का विश्वास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। संसद की आचार समिति राजनीतिक दलों के सदस्यों एवं घटकों को संवेदनशील बनाने एवं उनके अनुकरणीय आचरण को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार मानदंडों और दिशा–निर्देशों का निर्धारण कर सकती है।

- समय आ गया है जब उच्च सरकारी कार्यालयों में बैठे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनता के समक्ष अनुसरणीय एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। उनमें से जो कानूनी या संवैधानिक दायित्वों के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं उनके साथ कड़ाई से निपटा जाना चाहिये।

- नागरिक सुरक्षा : युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और इसी तरह के अन्य आपात स्थितियों के दौरान नागरिक सुरक्षा ने परंपरागत रूप से अगम्य प्रदेशों की रखवाली, सशस्त्र बलों का समर्थन, नागरिकों को तैयार करने और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में नागरिक प्रशासन की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि इन वर्षों में नयी और जटिल चुनौतियाँ उभरी हैं। नागरिक सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा है, जैसे निश्चित समयान्तर पर होंने वाले इनके अभ्यास अस्त–व्यस्त और उपेक्षित हो गये हैं। इसलिये केन्द्र सरकार द्वारा इस संगठन के प्रभाव के बारे में गहराई से समीक्षा करने की जरूरत है। इसकी कमजोरियों और नई चुनौतियों, जिसका इसके द्वारा भविष्य में सामना किये जाने की सम्भावना है, की भी पहचान करना आवश्यक है। इसलिये समकालीन परिदृश्य में इसमें सुधार करने के लिए एक ठोस योजना का पुनर्निर्माण करना अपरिहार्य है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को केन्द्र सरकार के पूर्ण सहयोग के साथ सम्पन्न किये जाने की जरूरत है। यह कार्य अविलम्ब तात्कालिक आधार पर किया जाना चाहिये।

- अपेक्षित सतर्कता बरतने में और नागरिक पुलिस के कामकाज को समर्थन और सहायता प्रदान करने में विभिन्न समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाया जाना चाहिये। गाँवों में रक्षादलों का भी गठन किया जा सकता है। ऐसे ही रक्षादल नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक मोहल्ला एवं वार्ड स्तर पर गठित किये जा सकते हैं। आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये काले धन के स्रोत को जायज बनाने के तरीके पर लगाम आवश्यक है। नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच करीबी गठजोड़ को देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के स्थिति को भी सुधारने की आवश्यकता है।

- माओवादियों के वित्तीय स्रोतों और हथियारों के खरीद–फरोख्त के माध्यमों के समापन हेतु इस विषय को उच्च प्राथमिकना देने की जरूरत है।

- माओवादियों की कार्यवाही के विषय में भले कितना ही क्यों न प्रासंगिक हो परन्तु अनावश्यक राजनीतिक बयान एवं विरोधी बयान, केन्द्र बनाम राज्यों को दोष देने के खेल, खुफिया तन्त्र और सुरक्षा की विफलता पर अभियोग से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए। सरकार के प्रति विश्वसनीयता की कमी एक गंभीर विषय है। और जब यह विषय सुरक्षा मामलों से संबंधित है तो यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विश्वसनीयता की कमी अपनी क्षमतानुसार देश की स्थिरता को खतरा एवं औचित्य के क्षरण को जन्म दे सकती है। देश को इस स्थिति से निपटने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हो सकता है।

- एक नई राष्ट्रीय नीति एवं रणनीति के प्रतिपादन, क्षमता–निर्माण की दिशा में पहल और उनकी सामरिक योजना को दबाने के लिये अभिनव युक्तियों एवं कड़े नियमों की अपराधियों को स्पष्ट और असंदिग्ध सूचना होना चाहिए।

- उग्रवादियों को भी एक स्पष्ट एवं जोरदार संदेश देने की आवश्यकता है कि राज्य अपने अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा के लिये अपने सभी संसाधनों एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा।

- जो लोग मुख्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विचार मंचों के रूप में धोखा देते हैं एवं कुशलतापूर्वक असंतोष उत्पन्न करने तथा शोषण करने में चरमपंथियों की सहायता करते हैं, उन्हें बंदूक का सहारा लेने के लिये प्रवृत्त करते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

- भारत को अपने महत्वपूर्ण आर्थिक हितों की रक्षा एवं दो लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुये विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये अपने समुद्री तटों की सुरक्षा–व्यवस्था को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। सुरक्षा के इस अति महत्त्वपूर्ण कार्य में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है।

आरएनपी सिंह गुप्तचर विभाग के भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं
एवं वर्तमान में विवेकानन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन से संबद्ध हैं।

राष्ट्र हित पर भारत नीति प्रतिष्ठान की सामयिक प्रपत्र श्रृंखला राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व की नीतियों के विषय में सम्यक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह श्रृंखला पाठकों के समक्ष आधारभूत विषयों जैसे संवैधानिक प्रश्न, शासन प्रणाली के समक्ष बढ़ी चुनौतियों और उनके दीर्घकालीन प्रभाव, सामाजिक एवं क्षेत्रीय सद्भाव तथा विकास के लिये राष्ट्रीय संरचना एवं उच्च प्रभावी नीतिगत मुद्दों पर गम्भीर विश्लेषणपरक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है।

INDIA POLICY FOUNDATION
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥

डी–51, प्रथम तल, हौजखास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018
फैक्सः 011–46089365
ईमेलः indiapolicy@gmail.com
वेबसाइटः www.indiapolicyfoundation.org

₹ 50/-
9 788192 522340